




NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH



Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No : 117/NCRES/20

Date : 9.6.2020

श्रीमान प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज

विषय:- हेडक्वाटर स्तर पर दिनांक 25/26.02.2020 को सम्पन्न हुई पी.एन.एम. बैठक में लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- (1) NCRES का पत्र दिनांक 20.5.2020

(2) प्रधान कार्यालय पत्र सं.10-मेड/एन.सी.आर.ई.एस./पी.एन.एम. दिनांक 1.6.2020


महोदय,

दिनांक 25/26.02.2020 की PNM बैठक में हुये निर्णयों के क्रियान्वयन के लिये NCRES ने अपने पत्र दिनांक 20.05.2020 द्वारा अनुरोध किया था, लेकिन प्रधान कार्यालय के पत्र दिनांक 01.06.2020 के तथ्यों से NCRES सहमत नहीं है, इसलिये अनुरोध है कि निम्न तथ्यों पर गम्भीरता से विचार किया जाय और की गई कार्यवाही से NCRES को अवगत कराया जाय।

1.	मद संख्या- 18/03/2016 एवं 16/07/2017 (c) व (d)	PNM की टिप्पणी के अनुसार PCMD स्वयं NCRES के प्रतिनिधि के साथ निरीक्षण करेंगे। PNM बैठक में हुये निर्णय का सम्मान करते हुये PCMD निरीक्षण की तिथि निश्चित कर अवगत कराने का कष्ट करें।
2.	मद संख्या-16/07/2017 (a) व (b)	PNM की टिप्पणी के अनुसार मद 'ए' एवं 'बी' हेतु मण्डल एवं सी.एम.डी./पुर्वोत्तर रेलवे को पत्र लिखा जाना था। प्रधान कार्यालय द्वारा लिखे गये पत्रों की प्रतिलिपि NCRES को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। कृपया पत्र की प्रति दी जाय।

3.	मद संख्या- 24/05/2018	<p>PNM की टिप्पणी के अनुसार सभी कालोनियों में जहां CHI कार्यरत है, के लिये नियमित रूप से छिड़काव करने के लिये बड़ी मशीन की व्यवस्था की जाएगी।</p> <p>मण्डलो द्वारा अभी तक छिड़काव के लिये बड़ी मशीन की व्यवस्था नहीं की गई है, बड़ी मशीन की व्यवस्था करने सम्बन्धी मण्डलों को जारी निर्देश की प्रति NCRES को दी जाय।</p>
4.	मद संख्या- 2/11/2018 एवं मद संख्या- 22/11/2018	<p>PNM बैठक में चर्चा के बाद निर्णय हुआ था कि PCMD पुनः परीक्षण करेंगे। (HQ के पत्र दिनांक 01.06.2020 में पुरानी टिप्पणी को टाइप कर दिया गया है।)</p> <p>इस मद पर पुनः NCRES के साथ चर्चा कर निर्णय लेने की आवश्यकता है ताकि मद समाप्त किया जा सके, इसलिये चर्चा के लिये तिथि तय कर अवगत कराया जाय।</p>

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त सम्बन्ध में उचित निर्णय लेकर NCRES को अवगत कराने का कष्ट करें।


 (आर. पी. सिंह)
 महामंत्री